



राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 4674

क्रमांक: - F.25(1)M&H/2/2023

जयपुर, दिनांक - 28/05/2024

(स्वीकृति संख्या : 7 / 2024-25)

विषय :- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेनार, पंचायत समिति भीण्डर, जिला उदयपुर के ट्रोमा भवन निर्माण कार्य हेतु राशि " राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसायटी " के पी.डी. खाते में हस्तांतरण किये जाने की स्वीकृति।

प्रसंग :- आईडी संख्या 152401043 दिनांक 22.05.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेनार, पंचायत समिति भीण्डर, जिला उदयपुर में ट्रोमा भवन निर्माण कार्य के दायित्वों के भुगतान हेतु बजट मद 4210-01-796-02-01-17 MW अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट प्रावधान में से राशि रू. 59.86 लाख (अक्षरे राशि रू. उनसठ लाख छियासी हजार मात्र) " राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसायटी " (RSHS) के पी.डी. खाते में हस्तांतरण की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त राशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजनार्थ, योजना की गाईडलाईन अनुसार तथा तत्संबंधी नियमों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये किया जावे:-

मांग संख्या	बजट मद जिससे राशि प्रभारित की जावेगी (डेबिट)	राशि	बजट मद/निजी निक्षेप खाता जिसमें राशि जमा की जावेगी (क्रेडिट)	राशि (रुपये में)
30	4210-01-796-(02)-[01]-17-State Fund	5,98,60,00	पी डी खाता संख्या : 4008 - Rajasthan State Health Society	5,98,60,00
	कुल योग	5,98,60,00	कुल योग	5,98,60,00

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

- स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम / निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
- व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार महालेखाकार / स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जावे।
- निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवाई जावे।
- व्यय के लेखे महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए सदैव खुले रहेंगे।

यह स्वीकृति वित्त वित्त (व्यय) विभाग-1 विभाग की आई. डी. संख्या 152401043 दिनांक 22/05/2024 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

RajKaj Ref  
7568382



राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 4674

भवदीय,

Signature Not  
Verified  
Digitally signed by  
PREETI MAATHUR  
Date: 2024.05.28  
15:46:52 +05:30

(प्रीति माथुर)  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: - F.25(1)M&H/2/2023

जयपुर, दिनांक - 28/05/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा - प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 3 शामन सचिव, चिकित्सा विभाग, जयपुर।
- 4 संयुक्त शामन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
- 5 संयुक्त शासन सचिव वित्त व्यय-1 विभाग
- 6 निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
- 7 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
- 8 रक्षित प्रतारवर्ती।

(प्रीति माथुर)  
संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref  
7568382



राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरुप-2) विभाग

IFMS ID : 4674

IFMS ID : 4674

परिशिष्ट

राशि (रुपये में)

क्र. स.	Ref. No.	निजी निक्षेप खाते का नाम / कोष कार्यालय / बजट शीर्ष	राशि
		4008 - Rajasthan State Health Society	
		2100 - जयपुर(सचिवालय)	
1	40648	4210-01-796-(02)-[01]-17 (राज्य निधि)	5,98,60,00

Signature Not Verified  
Digitally signed by  
PREETI MAHUR  
Date: 2024.05.28  
15:46:52 +05:30

RajKaj Ref  
7568382

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-योजना/सांख्यिकी/बीएफसी-बजट/2023-24/2024/79 दिनांक:- 05/06/2024

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग।
2. अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन) मुख्यालय।
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
4. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर, राज0।
6. संयुक्त निदेशक, (योजना) मुख्यालय।
7. उप निदेशक (योजना-निर्माण) मुख्यालय।
8. उप निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यालय।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस स्वीकृति को संबंधित अधिकारियों की ई-मेल आईडी एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref  
7681764

Document certified by RAVI PRAKASH  
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI  
PARKASH MATHUR  
Designation: Director  
Date :03-06-2024 10:38:27